छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

पत्र कमांक3361/3–05/2014/मबावि/2014–15 रायपुर, दिनांक 09.09.2014

प्रति,

1. जिला कलेक्टर,
   जिला – समस्त (छत्तीसगढ़)
2. जिला कार्यकम अधिकारी/जिला महिला
   एवं बाल विकास अधिकारी
   जिला-समस्त (छ.ग.)

विषय :– "नोनी सुरक्षा योजना" लागू किये जाने विषयक स्वीकृति।

राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए **"नोनी सुरक्षा योजना"** लागू की जा रही है। योजना दिनांक 01.04.2014 से लागू मानी जायेगी। योजना संचालन संबंधी दिशा–निर्देश एवं आवेदन प्रारूप आदि संलग्न है।

कृपया योजना प्रावधानों के अनुसार पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

09.09.14
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ कमांक3362/3–05/2014/ मबावि /50 रायपुर, दिनांक 09.09.2014

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. निज सचिव,माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।
4. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. मुख्य सचिव, के अवर सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
8. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
9. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ लोक आयोग/अनूसूचित जाति आयोग/महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्पसंख्यक आयोग, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
11. संभागायुक्त, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा एवं बस्तर की ओर सूचनार्थ।
12. विभागाध्यक्ष, समस्त छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
13. संचालक, जनसंपर्क विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
14. संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. अतिरिक्त फाईल प्रति।

09-09-14
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नोनी सुरक्षा योजना – दिशा निर्देश

1. *योजना संचालन का औचित्य/पृष्ठ भूमि :–*

जनगणना वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात 1000:975 था जो जनगणना वर्ष 2011 में घटकर 1000:964 हो गया है । राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए "नोनी सुरक्षा योजना" शीर्षक से नवीन योजना लागू की जा रही है। यह योजना दिनांक 01.04.2014 से लागू होगी।

2. *योजना का उद्देश्य –*

2.1 प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने।

2.2. बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने ।

2.3 बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं

2.4 बाल विवाह की रोकथाम ।

3. *योजना के अन्तर्गत पात्रता*

3.1. बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के उपरान्त हुआ हो। इसके समर्थन में सक्षम प्राधिकारी (ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/शासन द्वारा समय–समय पर घोषित) द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

3.2 बालिका के माता–पिता छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो । इसके लिए तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अथवा बी.पी.एल कार्ड/स्वास्थ्य बीमा कार्ड संलग्न किया जा सकता है।

3.3 . बालिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार की होनी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग की अद्यतन गरीबी रेखा की सर्वे सूची (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2002 एवं शहरी क्षेत्रों में 2007 की सर्वे सूची मान्य है) में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होना चाहिए तथा इस हेतु प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

3.4. योजनांतर्गत लाभ दो संतानों (बालिकाओं) तक सीमित होगा, अर्थात् यदि दो बालक पश्चात् तीसरी बालिका है तो लाभ की पात्रता नही होगी।

अ. प्रथम अथवा द्वितीय बालिका होने के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ए.एन.एम/सरपंच/पार्षद/पंचायत सचिव द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

ब. द्वितीय बालिका की दशा में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता द्वारा परिवार नियोजन का स्थाई विकल्प अपनाया जाना अनिवार्य होगा। शासकीय चिकित्सालय में नसबंदी कराये जाने पर शासकीय चिकित्सक तथा निजी चिकित्सालय में नसबंदी कराये जाने की स्थिति में संबंधित पंजीकृत चिकित्सक/नर्सिंग होम द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

3.5. प्रथम/द्वितीय प्रसूति की जन्मी जुड़वा अथवा एक साथ एक से अधिक जन्मी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। प्रथम प्रसव में जन्मी जुडवा बालिकाओं को योजनांतर्गत लाभ दिये जाने पश्चात् द्वितीय प्रसव से जन्मी तीसरी बालिका को योजना का लाभ प्राप्त नही होगा।

3.6. यदि परिवार ने बालिका को विधिवत गोद लिया हो तो उसे पात्र मानते हुए योजनांतर्गत अन्य मापदण्डों को पूरा करने की दशा में योजना का लाभ दिया जावेगा ।

3.7 योजना के अन्तर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वी तक शिक्षा पूर्ण होने पर ही योजनांतर्गत लाभ देय होगा।

3.8 पात्रता का निर्णय एवं प्रकरण मान्य/अमान्य करने का पूर्ण अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को होगा ।

4. *योजना के अंतर्गत देय लाभ :–*

4.1. योजना के अन्तर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वी तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रूपये अथवा तत्समय शासन द्वारा निर्धारित परिपक्वता राशि दी जायेगी जो कि 1 लाख रूपये से कम नही होगी।

4.2. पात्र/पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5000 रूपये अर्थात् कुल 25000 रूपये विनियोजित किये जायेंगे। एलआईसी को दी गई राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त कार्पस/अंशदान निधि के रूप में एलआईसी को योजना प्रारंभ से दिया जायेगा ताकि परिपक्वता राशि 1 लाख रूपये से कम हो तो कार्पस/अंशदान निधि से अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सके अथवा रूपये के संभावित अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए परिपक्वता राशि बढ़ायी जा सके।

4.3. आवेदन प्राप्ति से लेकर भुगतान तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा की जायेगी। इस हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम एवं राज्य सरकार के मध्य अनुबंध किया जायेगा। एलआईसी द्वारा बालिका के नाम पर प्रथम किश्त जारी करने के उपरांत बॉण्ड/प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ भी नियमानुसार बालिका/परिवार को देय होगा।

5. *आवेदन की प्रक्रिया –*

5.1. योजना का लाभ लेने के लिये अपने गांव/मोहल्ले के आंगनबाड़ी केन्द्र/संबंधित परिक्षेत्र के पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर आवेदन करना होगा ।

5.2. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण'–पत्र

1. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/शासन द्वारा समय–समय पर घोषित सक्षम अधिकारी)
2. राज्य का मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अथवा बी.पी.एल कार्ड/स्वास्थ्य बीमा कार्ड)
3. गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम दर्ज होने संबंधी प्रमाण पत्र
4. द्वितीय बालिका होने की स्थिति में स्थाई परिवार नियोजन विकल्प अपनाये जाने संबंधी प्रमाण पत्र (शासकीय चिकित्सालय में नसबंदी कराये जाने पर शासकीय चिकित्सक तथा निजी चिकित्सालय में नसबंदी कराये जाने की स्थिति में संबंधित पंजीकृत चिकित्सक/नर्सिंग होम द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
5. प्रथम अथवा द्वितीय बालिका होने के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / ए.एन.एम / सरपंच / पार्षद / पंचायत सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र

5.3 योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी 1 वर्ष की अवधि अर्थात् बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अंदर संबंधित जिले के कलेक्टर को अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे ।

5.4 माता–पिता की मृत्यु की दशा में बालिका की उम्र पांच साल होने तक भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ।

5.5 अनाथ बालिका की दशा मे संबंधित बाल गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के गृह में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को आवेदन करना होगा ।

6. *राशि जमा किया जाना –*

6.1 आवेदन प्राप्ति उपरांत प्रकरण परीक्षण/स्वीकृति की कार्यवाही बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर पर की जायेगी।

6.2 प्रकरण स्वीकृति उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम को हितग्राहियों का विवरण प्रेषित किया जाएगा तथा संचालनालय महिला एवं बाल विकास द्वारा अनुबंध अनुसार राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

6.3 प्रत्येक आवेदन/लाभार्थी को प्रथम किश्त के समय पंजीकृत करते हुए एक यूनिक आईडी नम्बर सहित बॉण्ड/प्रमाण पत्र दिया जायेगा । इसी नम्बर के माध्यम से हितग्राही का चिन्हांकन एवं भुगतान संबंधी सभी औपचारिकताओं की पूर्ति की जायेगी ।

7. *परिपक्वता राशि भुगतान की कार्यवाही*

7.1 भुगतान के समय लाभार्थी बालिका के नाम से उपयुक्त बैंक में बैंक खाता खोला जाना होगा ।

7.2 भुगतान प्राप्ति हेतु लाभार्थी बालिका द्वारा 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची, 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित होने संबंधी घोषणा पत्र जो कि बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा तत्समय इस हेतु अधिकृत किये गये अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा तथा बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। परिपक्वता राशि बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

7.3 यदि 18 वर्ष के पूर्व बालिका की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि राजसात (forfeit) कर ली जायेगी।

8. *योजना का क्षेत्र :–*

योजना का क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश होगा।

9. *योजना की मॉनीटरिंग –*

8.1 योजना के संचालन व मॉनीटरिंग हेतु अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा राज्य स्तर पर सचिव/आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेगी। कमेटी शत्–प्रतिशत् पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करेंगी । साथ ही योजना संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करते हुए योजना प्रावधानों के कियान्वयन के संबंध में उचित अनुशंसा करेगी ।

8.2 सचिव छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के संचालन में आने वाली कठिनाईयों के सुधार, संशोधन अथवा योजना के किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार रहेगा ।

10. *अभिलेख संधारण एवं जानकारी प्रेषण*

10.1 योजना कियान्वयन के संबंध में बाल विकास परियोजना कार्यालय में आवेदन पंजी एवं मूल आवेदन पत्रों का संधारण किया जायेगा तथा हितग्राहियों का विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय को प्रतिमाह प्रेषित किया जायेगा।

10.2 जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हितग्राहियों का विवरण एलआईसी एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रतिमाह प्रेषित किया जायेगा।

(जेवियर कैरकेट्टा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग